भारत सरकार/ (Government of India)
रेल मंत्रालय/ (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड/ (Railway Board)

सं.2021/टेली/11(2)/1(3346054)

रेल भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक 0[illegible]/05/2022

दूरसंचार परिपत्र सं. 02/2022

महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रधान मुख्य
प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें, केआरसीएल, उत्पादन इकाइयां,
कोर, कॉफमो
मानक सूची के अनुसार)

महाप्रबंधक/निदेशक
अअमासं., एनएआईआर, सभी सीटीआई
अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड

विषय: भारतीय रेल हेतु सीयूजी मोबाइल योजना के लिए नई संविदा।

संदर्भ: (i) आरसीआईएल का दिनांक 30.03.2022 का पत्र सं. आरसीआईएल-सीओ0आईटीपी (आईटीपी)/1/2022-ओ/ओजेजीएम/आईटीपी(टेक)/सीओ/ आरसीआईएल
(ii) बोर्ड का दिनांक 31.03.2022 का समसंख्यक पत्र।
(iii) बोर्ड का दिनांक 07.06.2006 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3

रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के लिए नई सीयूजी योजना को अंतिम रूप देने हेतु रेलटेल को जिम्मेदारी सौंपी थी चूंकि मौजूदा योजना की वैधता 31.12.2021 को समाप्त हो रही थी/हो रही है (30.04.22 तक बढ़ाया गया 01.04.22 से 30.04.2022 उक्त संदर्भ के तहत (ii), घटे हुए दरों पर)। नई सीयूजी स्कीम को रेलटेल और मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है, व इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) को संविदा दे दी गई है।

2. मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ रेलटेल की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार नंबरिंग योजना जारी रहेगी। नई सीयूजी योजना 01.05.2022 से लागू होगी। सीयूजी योजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीके संलग्न जेडब्ल्यूओ में दिए गए हैं। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय सीमा संदर्भ (iii) के अंतर्गत बोर्ड के पत्र के तहत बताए गए अनुसार अथवा भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों के अनुसार होगी। चूंकि टीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा एलटीई/4जी बैंड पर है, केवल 4जी वीओएलटीई सुविधा वाले मोबाइल हैंडसेट ही काम करेंगे।

3. 4 सीयूजी योजनाएं अर्थात् 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' होंगी। सीयूजी योजनाओं के लिए हकदारी निम्नानुसार होगी:

योजना 'ए' - वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उससे ऊपर, योजना 'बी' - चयन ग्रेड/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान/कनिष्ठ वेतनमान, योजना 'सी' - समूह ग कर्मचारियों के लिए, योजना 'डी' - केवल बल्क एसएमएस के लिए

4. सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों आदि को एतद्वारा मौजूदा सीयूजी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार सीयूजी कनेक्शनों के लिए इस योजना का प्रयोग करने के लिए सूचित किया जाता है। प्राधिकार-पत्र के साथ जेडब्लयूओ और निविदा दस्तावेज़ के साथ डाउनलोड करने के लिए http://tele.rb.railnet.gov.in/wiki/policy पर भी उपलब्ध है।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति प्राप्त है।

6. कृपया इसकी पावती दें।

(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक/दूरसंचार
दूरभाष: 011-47843013, 030-44613
ई.मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

सं.2021/टेली/11(2)/1(3346054)

रेल भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 04.05.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली – 110001

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. F(X)-II व बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2. PCSTEs, सभी भारतीय रेलवे-जानकारी हेतु।
3. CMD/RailTel, सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. सभी PSUs (रेलटेल को छोड़कर)-जानकारी हेतु।